



रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/ एवो

०८००/ एन०पी० ९१/२०११-१३

लाइसेन्स नं. पोर्ट ऐट कलोशनल रोड

१०१-३०८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग ४, खण्ड (क)

(राज्यालय अधिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, २९ जनवरी, २०१४

माघ ९, १९३५ शक रामबत

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय अनुसूची-२

रामबा० २२ / १६-१२ लीन०पी०-III

लखनऊ, २९ जनवरी, २०१४

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राम०प०नि०-६

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४ सन् 1994) की धारा १३ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची दो में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उक्त अनुसूची में, मद छह में खण्ड (क) के रथान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक हो गा जिनके पास धनवर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक राखा जाए।"

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 जनवरी, 2014

2

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 33/XVI-92 I.C. III, dated January 29, 2014:

No. 33/XVI-92 I.C. III

Dated Lucknow, January 29, 2014

IN exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule II to the said Act.

AMENDMENT

In the said Schedule in Article VI, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:

"(a) the persons having gross annual income of rupees eight lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act, 1957 for a period of three consecutive years."

By order,
RAJIV KUMAR,
Framukh Sachiv.

प्रधानमंत्री का द्वारा 145 राजपत्र (Ro) 2014 - (1607) 599 प्रतियां (काम्यूलर/डीजी/आफ्सर)।
प्रधानमंत्री का द्वारा 19 राज. नियुक्ति - 2014 - (1608) 2000 प्रतियां (काम्यूलर/डीजी/आफ्सर)।

उत्तर प्रदेश शाराना
कार्मिक अनुगाम 2
रांख्या 22/16/92/टी०सी०-III
लखनऊ, दिनांक : 29 जनवरी, 2014

अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु आय सीमा के पुनर्निर्धारण के रामबन में क्रीमीलेयर विषयक अधिसूचना संख्या 22/16/92/टी०सी०-III, दिनांक 29 जनवरी, 2014 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की राज्यन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- रामरत प्रभुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शाराना।
- 2- रामरत गण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समरत विभागाध्यक्ष/प्रभुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रभुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रभुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 6- सचिव, लोक रोपा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- नेव अधिकारी/वेब मार्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शाराना।
- 10- माई फाइल।

11- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐश्वर्या, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश के विभागी परिणाम, भाग 4, खण्ड (क), (रामान्य परिनियम नियम) के अन्तर्गत प्रकाशित करने का काट करे तथा राज्यन अधिसूचना की हिती त अग्रेजी में मुद्रित 2000 प्रतियों कार्मिक अनुगाम 2, उत्तर प्रदेश शारान को उपलब्ध कराने का काट करें।

आङ्ग से,

एस० पी० सिंह,

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या ५३६ / कार०२३० दिनांक २२-२-२०१४
जौलैकोटी-सक्षत झुजालीकल्लरी। तटलीलदार-झुम्दा
(झुजालीलदार नेहरू के झुजालीलदार नेहरू काम्याक लालनाथी-झुजाली)
२- गाँड़ काँड़।

२०३५/१ R.K.
M
१०/२/१४

काम्याक लालनाथी (५०)
झुजालीलदार नेहरू।